



| आदेश की<br>क्रम सं० और<br>तारीख | <b>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</b>  | आदेश पर की<br>गई कारवाई के<br>बारे में टिप्पणी<br>तारीख के साथ |  |      |         |    |   |         |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|------|---------|----|---|---------|--|--|
| 20/11/20                        | <p style="text-align: center;"><b>न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल</b><br/> <b>विविध वाद संख्या 112/2019-2020</b><br/> <b>(भूदान पत्र-दान पत्र संपुष्टि)</b><br/> <b>आदेश</b></p> <p>दाता श्री रामानंद सिंह, पिता-विठल सिंह, ग्राम-शेखपुरा, थाना-करपी, जिला-अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्टि हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान-यज्ञ-दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान-यज्ञ-दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:-</p> <table border="1" data-bbox="263 795 1340 981"> <thead> <tr> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकबा</th> <th>चौहद्दी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29</td> <td>-</td> <td>01 कटटा</td> <td>उत्तर-नीज<br/>दक्षिण-छेदी तेली<br/>पूरब-हरदेव मिस्त्री<br/>पश्चिम-आहर के पिंड</td> </tr> </tbody> </table> <p>मौजा-शेखपुरा, थाना संख्या-111, थाना+अंचल-करपी, जिला-अरवल भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, करपी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। दाता के तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए और न किसी के द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया। अंचल अधिकारी, करपी के पत्रांक-647 दिनांक 21.12.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। भूदान यज्ञ-दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, करपी के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर है एवं गवाह के रूप में राम दयाल सिंह का हस्ताक्षर अंकित है। अंचल अधिकारी, करपी ने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि ठाकुर महतो, पिता-शमनाथ महतो के नाम पर खतियान दर्ज है एवं दाता खतियानी रैयत के दादा है। रामसुभग सिंह वगैरह, पिता-राजनाथ सिंह के नाम से जमाबंदी संख्या-265/1 चल रही है जो भूदाता के पोता है। रामसुभग सिंह वगैरह, पिता-राजनाथ सिंह वर्तमान में दखल कब्जा है जो दाता के पोता है। भूमि रैयति खाते की है जो धनहर है। अंचल अधिकारी, करपी ने प्रतिवेदित किया है कि दान पत्र में खेसरा का पता नहीं चलता है। खाता संख्या-29 में कुल 36 खेसरा है जिसका रकबा-6.52 एकड़ है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, शमशान, चिरारी आदि से मुक्त है। वर्णित भूमि पर भूदान दान पत्र के समय दाता का दखल कब्जा था। अतः अंचल अधिकारी, करपी के जाँच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में उल्लेख है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या, मौजा अंकित है, लेकिन खेसरा अंकित नहीं है वैसे दान पत्र में संपुष्टि की कार्यवाई की जायेगी क्योंकि सम्पुष्टि के पश्चात् जमीन को चिन्हीत करना संभव है। अंचल अधिकारी, करपी के जाँच प्रतिवेदन एवं भूदान वितरण भूमि जाँच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) के आलोक में भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि की बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल एवं अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित<br/> <br/> भूमि सुधार उप समाहर्ता<br/> अरवल।</p> <p style="text-align: right;"><br/> भूमि सुधार उप समाहर्ता,<br/> अरवल।</p> | खाता   | खेसरा  | रकबा | चौहद्दी | 29 | - | 01 कटटा | उत्तर-नीज<br>दक्षिण-छेदी तेली<br>पूरब-हरदेव मिस्त्री<br>पश्चिम-आहर के पिंड |  |
| खाता                            | खेसरा  | रकबा   | चौहद्दी  |      |         |    |   |         |  |  |
| 29                              | -  | 01 कटटा  | उत्तर-नीज<br>दक्षिण-छेदी तेली<br>पूरब-हरदेव मिस्त्री<br>पश्चिम-आहर के पिंड |      |         |    |   |         |  |  |